न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सदीप कुमार (आर.ए.एस.)

रिमाण्ड प्रकरण सं.–120/2023 दायरा दिनाकः– 02.06.2023

GCMS :- 2023/484

1.चैनाराम पुत्र श्री पोकरराम जाति जाट निवासी रतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1.बीरबलराम पुत्र श्री लूणाराम जाति मेघवाल साकिन रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। (नाम तर्क दिनाक 26.06.2023)

2.पूर्णराम पुत्र श्री लूणाराम जाति मेघवाल साकिन रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

4.उप पंजीयक सूरतगढ।

5.कमला पत्नी सोहनलाल जाति वाल्मिकी साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– **1.श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी**
2.श्री बृजमोहन शर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 2 व 5
3.पैरोकार राज जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 09.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही रतासर के खाता सख्या 59 खसरा न0 66/3.749, 322/4.049, व 324/9.260 में 22.162 हैक बारानी रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी को रोही रतासर खसरा संख्या 34 पुराना मिन 34/8 में 30 बीघा भूमि सम्वत 2026 में आवंटित हुई थी। खसरा संख्या 34 नया खसरा संख्या 322/4.048 व खसरा संख्या 344 में 3.125 हैक्टर पैमूद हुई। खसरा संख्या 344 की 3.125 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज नही की गई जबकि कब्जा निरन्तर वादी का रहा है। प्रतिवादी न 1 व 2 के पिता लूणाराम को रोही रतासर के खसरा संख्या 50 /2 में 25 बीघा भूमि सम्वत 2031 में आवंटित हुई थी तथा कब्जा भी खसरा संख्या 50 में मिला था। खसरा संख्या 50 पुराना से नया खसरा संख्या 344 नही बना है फिर भी उक्त खसरा की 25 बीघा रकबा प्रतिवादी लूणाराम के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी के पिता का कब्जा पुराना खसरा संख्या 50 से बने खसरा संख्या 301 व 302 पर रहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पुराना खसरा से पैमुद खसरा संख्या 344 की 3.125 हैक्टर रकबा जो प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया है यह रकबा प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम से कलमजन कर यह रकबा वादी के नाम पूनः खातेदारी दर्ज कर वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसलिये अनुतोष अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

वादी का यह वाद संख्या 79/2001 पर दर्ज किया व पत्रावली मे प्रतिवादीगण का जबाब दावा पेश होने के पश्चात प्रार्थी/वादी के आदेश 6 नियम 17 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.02.2003 पर निर्णय किया गया जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी संख्या 37/2003 पेश हुई। निगरानी विड्रा होने पत्रावली पुनः 148/2008 पर दर्ज की जाकर पत्रावली मे दिनांक 19.01.2009 को तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्ष की बहस सुन कर वाद वादी दिनांक 24.06.2010 को खारीज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 68/2010 पेश की। जिसमे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने इस पत्रावली मे पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

को यह प्रकरण रिमाण्ड किया गया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व दौरान प्रकरण प्रतिवादी न 1 बीरबल ने अपने हिस्सा का रकबा कमला पत्नी सोहनलाल को बेचान कर दिया इसलिये दावा मे कमला को पक्षकार बनाया जाकर प्रतिवादीया संख्या 5 पर नाम संयोजित किया गया व प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना जबाब दावा प्रस्तूत किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जब अपने नाम का तमाम रकबा ही प्रतिवादी संख्या 5 को बेचान कर दिया है व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन हो जाने से इस प्रकरण से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 26.06.2023 को तर्क किया गया। उभय पक्ष ने इस न्यायालय मे दिनांक 26.06.2023 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हूऐ भू प्रबन्ध विभाग की गलती को सुधारते हूऐ वादी का पुराना खसरा संख्या 34 से पैमुद खसरा संख्या 344 का 3.125 हैक रकबा जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के नाम दर्ज है, को कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाने का व वादी के नाम का खसरा संख्या 322 का 4.048 हैक मे से दक्षिणी पासा का 3.125 हैक बारानी रकबा जो वास्तव मे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का रकबा था जो भु–प्रबन्ध की गलती से वादी के नाम दर्ज है यह रकबा वादी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण पक्ष ने उक्तानुसार वाद स्वीकार करने मे अपनी सहमति भी दी है

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड को ध्यान से अवलोकन किया गया। वाद मे कायम तनकीयात का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :–

तनकी न 1– **आया वादी के नाम रोही रतासर के खसरा न 66 मे 3794 हैक, खसरा न 322 मे 4.048 है खसरा न 324 मे 9.260 हैक व खसरा न 325 मे 5.060 हैक कुल 22.162 है खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है ? जो पुर्व खसराजात व मिलान क्षेत्रफल से मेल नही खाती है ?**

–वादी

तनकी न 2 – आया पुराना खसरा न 34 से नवीन खसरा न 344 मे 3.125 हैक रकबा पैमुद हुआ है ? राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज नही है उसकी घोषणा बतौर खातेदार कृषक पाने का वादी हकदार है ? कब्जा वादी का निरन्तर है?

–वादी

इन दोनो तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है व दोनो तनकीयात एक दुसरे पर आधारित है, इसलिये इन दोनो तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाता है। पत्रावली मे उपलब्ध भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार विभागीय मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादी के पुराना खसरा न 34 नया मिन 34/8 के 30.00 बीघा रकबा से नया खसरा न 344 का 3.125 हैक रकबा पैमुद होना साबित है, यह रकबा वादी के नाम सॅवत 2026 ता 2030 की गिरदावरी मे आराजीकाश्त दर्ज है जो बाद मे खातेदारी हूआ है, परन्तु भु प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार खतौनी जमाबन्दी सॅवत 2035 ता 2044 मे वादी चेनाराम के खाते मे यह रकबा कतई दर्ज नही किया है, जबकि यह रकबा प्रतिवादी न 1 व 2 के पिता लुणाराम के नाम दर्ज कर दिया व उसके फौत हो जाने के बाद यह रकबा प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम व वर्तमान जमाबन्दी मे यह रकबा प्रतिवादी न 2 व 5 के नाम दर्ज कर रखा जबकि उक्त रकबा वादी के पुराना खातेदारी खसरा न 34 के रकबा से पैमूद होना साबित है तथा उक्त रकबा वादी के ही कब्जा काश्त मे चला आ रहा है जिसे प्रतिवादीगण स्वीकार कर रहे है, इसलिये वादी उक्त रकबा के खातेदारी हको घोषणा करवाने का व अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का हकदार है । वादी ने इस तनकीयात को साबित कर दिया है तथा कानूनी नजीर आर.आर.डी.1996 के पेज 63 के तथ्य इस पर हूबहू लागु होती है जिसमे स्पष्ट है कि वाद के माध्यम से भू प्रबन्ध विभाग की त्रृटि को सुधारा जा सकता है, इसलिय इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी न 3 – आया प्रतिवादीगण की पूर्व खसरा न 50/2 में 25.00 बीघा भूमि थी जिससे नवीन खसरा नम्बर 344 का रकबा नही बना था बल्कि भूमि खसरा न 322 मे फिट की गई है। खसरा न 322 में भी प्रतिवादीगण का कब्जा है ? –वादी

इस तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी न 1 व 2 के निर्णय मे यह साबित हो गया है कि यह खसरा न 344 का 3.125 हैक रकबा वादी के रकबा से पैमुद हुआ है व वादी के ही कब्जा काश्त मे है जिसे प्रतिवादी स्वीकार कर रहे है तथा प्रतिवादी न 1 व 2 के पिता का खसरा न 50 मे ही रकबा था जिससे खसरा न 344 का रकबा पेमुद नही है इससे यह साबित है कि वादी खसरा न 344 का उक्त रकबा अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है तथा प्रतिवादी न 50/2 के रकबा से पैमुद खसरा न 322 का 3.125 हैक रकबा पर ही कब्जा काश्त है व यही रकबा अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है इसलिय इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

तनकी न 4 –आया वादी का खसरा न 344 मे 3.125 हैक पर 30 वर्ष पुराना कब्जा है तथा पुराना खसरा न 34 से ही पैमूद है, प्रतिकूल कब्जा सिद्वान्त पर भी विकल्प मे वादी अनुतोष पाने का हकदार है ? –वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। चुकि प्रकरण मे वादी ने अपने रकबा की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दावा के माध्यम से सुधारना चाहा है इसलिये प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त लागु ही नही होता व श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2012 को इस तनकी का पुनः निर्णय करने हेतु अधिकृत नही किया है इसलिये तनकी का निर्णय पुर्व निर्णय 24.06.2006 के अनुसार यथावत् खिलाफ वादी रखा जाता है।

तनकी न 5 – आया प्रतिवादी के नाम रोही रतासर के खसरा न 344 की 3.125 हैक भुमि कलमजन की जाकर उसकी जगह खसरा न 322 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम फिट की जावे। दावा 183 आर टी ए मे कब्जा खसरा न 322 का स्वीकार किया गया है ? –वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है चुंकि तनकी संख्या 1 व 2 मे यह साबित हो गया है कि खसरा न 344 का रकबा वादी के पुराने खसरा न 34 के रकबा से पैमुद हुआ है तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से भी यह साबित हो रहा है इसलिये वादी इस खसरा का रकबा अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है। इसलिये यह रकबा प्रतिवादी न 2 व 5 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम दर्ज करवाने व इसके स्थान पर खसरा न 322 का 3.125 हैक रकबा वादी से कलमजन कर प्रतिवादी न 2 व 5 के नाम दर्ज किया जाने योग्य है।

तनकी न 6 – आया प्रतिवादी कमला पत्नी सोहनलाल वाल्मिकी ने ग्राम रतासर की रोही के खसरा न 301 मे 2.973 हैक बारानी प्रथम, खसरा न 344 मे 3.125 हैक बारानी द्वितीय व खसरा न 516 मे 4.768 हैक बारानी प्रथम व खसरा न 529 मे 1.885 हैक बारानी प्रथम कुल 12.571 हैक बारानी रकबा था जिसमे बीरबलराम पुत्र लुणाराम मेधवंशी का 1/2 हिस्सा यानी 6.375 हैक बारानी भूमि थी । बीरबलराम ने अपना हिस्सा की भूमि पूर्ण प्रतिफल राशी लेकर दिनांक 29.01.2009 को रजिर्स्ड बैयनामा से बेचान की है ? खरीद के आधार पर उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी कमला पत्नी सोहनलाल के नाम अंकित हो चुका है ? –प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादी एव प्रतिवादी द्वारा प्रस्तूत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी न 1 व 2 के संयुक्त खाते के खातेदारी रकबा मे से प्रतिवादी नं 1 के नाम व हिस्सा के रकबा को प्रतिवादी नं. 5 ने रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद किया था चुंकि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीया नं. 5 के द्वारा रकबा खरीदने से पहले ही खसरा नं. 344 की भूमि प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम दर्ज थी व दावा के दौरान ही रकबा प्रतिवादीया नं. 5 ने रकबा खरीद किया है यानी प्रतिवादी न 1 ने अपने नाम का तमाम हिस्सा का रकबा प्रतिवादीया 5 को बेचान किया है इसलिये यही रकबा प्रतिवादी संख्या–5 के नाम दर्ज होना स्वभाविक है। चुंकि वादी का वाद पत्र

लगातार पृष्ठ 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादीया के रकबा खरीदने से पहले का जैरकार है इस प्रकार प्रतिवादीया नं. 5 तो प्रतिवादी नं. 1 के फुट स्टेप मे आयी है इसलिये प्रतिवादी नं. 1 से ज्यादा हक प्रतिवादी नं. 5 को नही मिल सकते इस प्रकार मात्र बैयनामा हो जाने वादी को दावा लाने का अधिकार खत्म नही हो सकता। इसलिये इस तनकी का निर्णय आंशिक प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी न 7 – आया वादी ने कमला पत्नी सोहनलाल के पक्ष मे निष्पादित बैयनामा दिनांक 29.01.2009 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराया है ? **–वादी**

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है चुकि वादी का दावा प्रतिवादीया 5 के द्वारा रकबा खरीदने से पहले से जैरकार है तथा खसरा न 344 का 3.125 हैक रकबा प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम ही सैटलमेन्ट विभाग की गलती से दर्ज है जबकि यह रकबा वादी के पुराने खसरा न 34 से पैमूद है जो वादी के नाम दर्ज होने योग्य ह व प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम से कलमजन योग्य है, जिसे वादी ने तनकी न 1 ता 3 व 5 से साबित किया है तथा प्रतिवादी न 1 के नाम व हिस्सा का रकबा दौरान दावा प्रतिवादीया न 5 के नाम रकबा दर्ज हुआ है इसलिये इस रकबा पर प्रतिवादी न 1 से ज्यादा अधिकार नही मिल सकते इसलिये सैटलमेंन्ट विभाग का कार्य सम्पुर्ण हो जाने के पश्चात जरिये वाद रकबा के खातेदारी हको की घोषणा व दुरूस्ती करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है ।

तनकी न 8 – आया वादी एक हरिजन वर्ग के खातेदार कृषक की भूमि को बिना बैयनामा निरस्त करवाये अपने नाम धारा 88, 188 के अर्न्तगत घोषणा कराने व अनूतोष पाने का कानूनः हकदार है **–वादी**

इस तनकीयात को साबित करने करने का भार वादी पर है। वादी के वाद के अनुसार भु–प्रबन्ध के दौरान पुराने खसरो से नये खसरे बनाते समय सम्वत् 2035 ता 44 मे भु–प्रबन्ध विभाग की गलती से वादी का खसरा न 34 से पैमूद खसरा न 344 का 3.125 हैक रकबा जो पहले प्रतिवादी न 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया है जबकि उक्त रकबा का खातेदार है तथा यह रकबा वर्तमान मे प्रतिवादी 2 व 5 के नाम से कलमजन कर वादी अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है व खसरा न 322 का 3.125 है रकबा वादी के नाम से कलमजन किया जाकर इन प्रतिवादी के नाम दर्ज किया जाने योग्य है। यह प्रकरण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को सूधार के सम्बन्ध मे है, इसलिये इस प्रकरण मे वर्णीत रकबा पर धारा 42 का कतई उल्लघन नही है इसलिये वादी सैटलमैन्ट की गलती को जरीये वाद सुधार कराने का हकदार है इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

इस प्रकरण मे तनकी न 1 ता 3 व 5 ,7 8 को साबित करने का भार वादी पर था जिसे वादी ने दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्यो से साबित किया है वास्तव मे भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटि से भू प्रबन्ध के दौरान वादी के रोही रतासर के पूराने खसरा न 34 मिन खसरा न 34/8 के रकबा से पैमूद हाल खसरा न 344 का 3.125 हैक रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया था व हाल खसरा न 322 का 3.125 हैक प्रतिवादीगण का रकबा वादी के नाम दर्ज हो गया, जिसको वाद के माध्यम से सूधारा जाना उचित है, इसलिये वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर भू प्रबन्ध विभाग की भू प्रबन्ध के दौरान की त्रृटि को सुधारते हूऐ रोही रतासर के वादी के पुराने खसरा संख्या 34 से पैमूद हाल खसरा संख्या 344 के 3.125 हैक्टर बारानी दोयम रकबा का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा रोही रतासर की जमाबन्दी सँवत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 127 मे से प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के नाम से यह रकबा कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने व वादी के नाम की इसी रोही की इसी सम्वत् की जमाबन्दी से खसरा संख्या 322 का 4.048 हैक्टर बारानी दोयम में से 3.125 हैक्टर (दक्षिणी पासा) के रकबा का प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व यह रकबा वादी के नाम से कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के नाम बहिस्सा बराबर

उपखण्ड अधिकारी
लगातार पेज 5 पर
सूरतगढ़ (राज.)

खातेदारी दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है। यदि रकबा रहन है तो संबंधित के पक्ष में रहन यथावत् रहेगा। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.चैनाराम पुत्र श्री पोकरराम जाति जाट निवासी रतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1.बीरबलराम पुत्र श्री लूणाराम जाति मेघवाल साकिन रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। (नाम तर्क दिनाक 26.06.2023)

2.पूर्णराम पुत्र श्री लूणाराम जाति मेघवाल साकिन रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

4.उप पंजीयक सूरतगढ।

5.कमला पत्नी सोहनलाल जाति वाल्मिकी साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88–209 आर.टी.एक्ट. मुकदमा न. 120 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 की और से बृजमोहन शर्मा व पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर भू प्रबन्ध विभाग की भू प्रबन्ध के दौरान की त्रृटि को सुधारते हूऐ रोही रतासर के वादी के पुराने खसरा संख्या 34 से पैमूद हाल खसरा संख्या 344 के 3.125 हैक्टर बारानी दोयम रकबा का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा रोही रतासर की जमाबन्दी सॅवत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 127 मे से प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के नाम से यह रकबा कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने व वादी के नाम की इसी रोही की इसी सम्वत् की जमाबन्दी से खसरा संख्या 322 का 4.048 हैक्टर बारानी दोयम में से 3.125 हैक्टर (दक्षिणी पासा) के रकबा का प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व यह रकबा वादी के नाम से कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 5 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है। यदि रकबा रहन है तो संबंधित के पक्ष में रहन यथावत् रहेगा।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.02.2024 **को जारी की गई।**

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)